न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सिमरिया।

विविध वाद संख्या–14/2023–24

प्रथम पक्षः–आनन्द कुमार यादव, ग्राम–डढुआ, थाना–गिद्धौर, जिला–चतरा।

बनाम

द्वितीय पक्षः–सुरेश गिरी एवं अन्य, ग्राम–डढुआ, थाना–गिद्धौर, जिला–चतरा।

1 | 2 | 3

आदेश

1. इस वाद की प्रक्रिया अंचल अधिकारी, गिद्धौर के द्वारा विविध वाद संख्या–03/2022–23 आनन्द कुमार यादव बनाम सुरेश गिरी से संबंधित अभिलेख अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु उपलब्ध कराई गई है, जो जमाबन्दी निरस्त करने से संबंधित है। इस वाद में प्रथम पक्ष–आनन्द कुमार यादव, पिता–सुकर यादव, ग्राम–डढुआ, थाना–गिद्धौर, जिला–चतरा है तथा द्वितीय पक्ष–सुरेश गिरी, पिता–चेतो गिरी एवं अन्य (कुल–04) सभी साकिन–डढुआ, थाना–गिद्धौर जिला–चतरा है। प्रक्रिया से संबंधित भूमि की विवरणी निम्नवत् है :–

मौजा का नाम	खाता नं0	प्लॉट संख्या	कुल रकबा
डढुआ	12	105, 106	0.11 एकड़

2. इस वाद में अंचल अधिकारी, गिद्धौर द्वारा आदेश पारित किया गया है कि खतियानी रैयत जपली ग्वालीन द्वारा प्रश्नगत भूमि की बिक्री कर दी गई थी तथा बिक्री के पश्चात् से हीं द्वितीय पक्ष के केदार गिरी वगै0 के नाम से जमाबन्दी कायम होकर रसीद निर्गत हो रहा था एवं द्वितीय पक्ष हीं प्रश्नगत भूमि पर दखल–कार है। प्रथम पक्ष की दादा की बहन खतियनी रैयत जपली ग्वालीन के नाम से खतियान में दर्ज है तथा जमाबन्दी कायम है, परन्तु प्रथम पक्ष द्वारा जमींदारी के पूर्व से तथा जमींदारी उन्मूलन के बाद लगातार लगाान रसीद प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे जमाबन्दी संदेहात्मक प्रतीत होता है। अतएव प्रथम पक्ष की जमाबन्दी निरस्त करते हुए द्वितीय पक्ष की जमाबन्दी को यथावत रखने की अनुशंसा कर अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु अभिलेख इस न्यायालय को उपलब्ध कराया गया है।

3. इस वाद के क्रम में उभय पक्षों को अपना–अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। प्रथम पक्ष के द्वारा लिखित कथन दाखिल कर इस न्यायालय को बताया है कि मामला मौजा–डढुआ के खाता संख्या–12, प्लॉट संख्या–105 एवं 106, रकबा–0.01 एकड़ एवं 0.10 एकड़, कुल रकबा–0.11 एकड़ से संबंधित है। यह कि प्रश्नगत भूमि प्रथम पक्ष के आनन्द कुमार के पूर्वज जपली ग्वालीन, पति–उजनाथ गोप के नाम से खतियान में दर्ज है। जपली ग्वालीन प्रथम पक्ष के परदादा छठु महतो की एक मात्र बहन थी और

Scanned with OKEN Scanner

नावल्द मृत्यु हो गई। मृत्यु उपरान्त प्रश्नगत भू–खण्ड प्रथम पक्ष के पूर्वजों के जिम्मे में आ गया, उसी समय से प्रथम पक्ष शान्तिपूर्ण दखल–कब्जा में रहें एवं जमाबन्दी कायम है।

4. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के पिता–सुकर यादव के प्रति धारा–144 दं0प्र0स0 के वाद संख्या–01/2015–16 (मालती देवी बनाम सुकर यादव) दायर किया गया था, जिसमें द्वितीय पक्ष के सुरेश गिरी द्वारा प्रश्नगत भू–खण्ड के दावा के समर्थन में जमींदारी हुकुमनामा प्रस्तुत किया गया था, जबकि अंचल अधिकारी, गिद्धौर के न्यायालय में विविध वाद संख्या–03/2022–23 (आनन्द कुमार बनाम सुरेश गिरी वगै0) में द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में अनिबंधित विक्रय पत्र (सादा केवाला) प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया है कि जपली ग्वालीन, पति–उजनाथ यादव द्वारा क्रय दिखाया गया है। इससे स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष द्वारा जाली राजस्व कागजातों के आधार पर न्यायालय को गुमराह कर प्रश्नगत भू–खण्ड को हड़पना चाह रहें हैं।

5. यह कि अंचल अधिकारी, गिद्धौर द्वारा निष्पादित विविध वाद संख्या–03/2022–23 के सुनवाई के दौरान राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक, गिद्धौर द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन में स्पष्ट किया गया है कि प्रथम पक्ष की जमाबन्दी द्वितीय पक्ष की जमाबन्दी से पूर्व का है। साथ हीं भौतिक सत्यापन के दौरान द्वितीय पक्ष कुछ ग्रामीणों को अपने मेल में लाकर गलत ब्यान दर्ज करा दिया कि द्वितीय पक्ष का प्रश्नगत भू–खण्ड पर कब्जा है, जबकि ऐसा नहीं है।

6. यह कि प्रथम पक्ष के द्वारा अनुरोध कर कहा गया है कि द्वितीय पक्ष द्वारा जाली राजस्व कागजातों के आधार पर प्रथम पक्ष की खतियानी भूमि को हड़पना चाहते हैं। इनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि द्वितीय पक्ष की जमाबन्दी को स्थगित करते हुए प्रथम पक्ष की जमाबन्दी को यथावत रखा जाय।

7. प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में 1. खतियानी की अभिप्रमाणित प्रति की छायाप्रति, 2. ऑफलाईन लगान रसीद एवं ऑनलाईन लगान रसीद 2021–22 तक की छायाप्रति एवं 3. पंजी–2 की छायाप्रति संलग्न किया है।

8. दूसरी ओर द्वितीय पक्ष ने लिखित कथन, लिखित बहस एवं राजस्व कागजात दाखिल कर इस न्यायालय को अवगत कराया है कि प्रथम पक्ष के आवेदन पर अंचल अधिकारी, गिद्धौर द्वारा विविध वाद संख्या–03/2022–23 (आनन्द कुमार यादव बनाम सुरेश गिरी वगै0) में प्रथम पक्ष की जमाबन्दी को रद्द करने की अनुशंसा कर अभिलेख अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु श्रीमान् के न्यायालय में भेजा गया है। मामला मौजा–डढुआ, थाना–गिद्धौर,

Scanned with OKEN Scanner

जिला–चतरा के अन्तर्गत खाता संख्या–12, प्लॉट संख्या–105, रकबा–0.01 एकड़, प्लॉट संख्या–106, रकबा–0.10 एकड़, कुल रकबा–0.11 एकड़ भूमि से संबंधित है।

9. यह कि ग्राम–डढुआ के खाता संख्या–12, प्लॉट संख्या–105, रकबा–0.01 एकड़, प्लॉट संख्या–106, रकबा–0.10 एकड़ एवं खाता संख्या–21, प्लॉट संख्या–221, रकबा–0.42 एकड़ इस प्रकार जमा खाता–02, जमा प्लॉट–03, कुल रकबा–0.53 एकड़ अनिबंधित विक्रय पत्र केवाला वो (खुस्की केवाला) से जपली ग्वालीन, पति–उजनाथ गोप एवं बोधन चमार, पिता–आशो चमार द्वारा अमृत गिरी एवं चेतलाल गिरी, पिता–ओबा गिरी को दिनांक–18.04.1937 ई0 से प्राप्त है, जिसका जमींदारी से पूर्व से हीं जमींदारी रसीद एवं जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् सरकारी मालगुजारी रसीद अब तक निर्गत हो आ रही है तथा उपरोक्त वर्णित भूमि बिक्रय के बाद हीं द्वितीय पक्ष के केदार गिरी वगै0 के नाम से जमाबन्दी कायम है तथा दखल–कब्जा में है।

10. यह कि अंचल अधिकारी, गिद्धौर द्वारा विविध वाद संख्या–03/2022–23 में पारित आदेश में स्पष्ट किया गया है कि प्रथम पक्ष के दादा की बहन खतियानी रैयत जपली ग्वालीन के नाम से खतियान में दर्ज है, परन्तु प्रथम पक्ष द्वारा जमींदारी के पूर्व से हीं एवं जमींदारी के बाद से लगातार लगान रसीद प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे प्रथम पक्ष की जमाबन्दी को संदेहात्मक माना गया है।

11. यह कि प्रथम पक्ष का खतियानी रैयत जपली ग्वालीन से कोई संबंध नहीं है। प्रथम पक्ष अपने जाति के नाम पर बनावटी खतियान बना लिया है। यह कहना कि जपली ग्वालीन मेरे पिता की बुआ लगती है, जबकि जपली ग्वालीन से प्रथम पक्ष का कोई संबंध नहीं है। जपली ग्वालीन की मृत्यु नावल्द हो गई थी।

12. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रश्नगत भू–खण्ड खुस्की केवाला से प्राप्त होने के उपरान्त जमाबन्दी कायम कराकर दखल–कब्जा में चलते आ रहें हैं, उसी के आधार पर अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरिया के न्यायालय में धारा–144 दं0प्र0स0 के अन्तर्गत वाद संख्या–01/2015 में द्वितीय पक्ष के पक्ष में अदेश पारित किया गया।

13. यह कि अंचल कार्यालय, गिद्धौर के राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा वाद के क्रम में जाँच कर अपने जाँच प्रतिवेदन में उल्लिखित किया है कि द्वितीय पक्ष की जमाबन्दी कायम है तथा प्रश्नगत भू–खण्ड पर हीं केदार गिरी एवं अन्य पिता–अमृत गिरी द्वारा जोत–कोड़ किया जा रहा है और प्रारम्भ से हीं प्रश्नगत भू–खण्ड पर कृषि कार्य किया जा रहा है। यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि खतियानी रैयत–जपली ग्वालीन की मृत्यु ना–वल्द हो गई थी तथा आनन्द कुमार यादव का खतियानी रैयत जपली ग्वालीन से कोई संबंध नहीं रहा है। द्वितीय पक्ष के द्वारा अनुरोध किया गया है कि द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

पक्ष की जमाबन्दी को अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में यथावत रखते हुए प्रथम पक्ष की जमाबन्दी को स्थगित रखा जाय।

14. द्वितीय पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में 1. खुस्की केवाला की छायाप्रति, 2. लगान रसीद की छायाप्रति संलग्न किया है।

15. उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत लगान रसीद की सत्यापन हेतु इस कार्यालय के पत्रांक–55/भू0सु0, दिनांक–27.12.2024 द्वारा अंचल अधिकारी, गिद्धौर को भेजा गया। अंचल अधिकारी, गिद्धौर के पत्रांक–468, दिनांक–28.12.2024 के माध्यम से सत्यापन प्रतिवेदन भेजा गया, जिसमें उल्लिखित है कि 2000 ई0 के उपरान्त निर्गत लगान रसीदों का हीं सत्यापन किया गया। पुनः पूर्व में निर्गत लगान रसीदों के मिलान हेतु पंजी–2 की सत्यापित प्रति की मांग इस कार्यालय के पत्रांक–04/भू0सु0, दिनांक–16.01.2025 द्वारा प्रभारी उपसमाहर्त्ता, जिला अभिलेखागार, चतरा से मांगी गई। जिला अभिलेखागार का पत्रांक–08, दिनांक–17.01.2025 के माध्यम से उभय पक्षों का पंजी–2 की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराई गई। पंजी–2 के सत्यापित प्रति से उभय पक्षों द्वारा प्रस्तुत लगान रसीदों का मिलान किया, जिसकी प्रति संलग्न है। (Annexure-I)

16. यह कि प्रश्नगत भू–खण्ड का खतियानी रैयत जपली ग्वालीन थी एवं इनकी जमाबन्दी भी 1937 ई0 के पूर्व से कायम था। दिनांक–18.04.1937 ई0 को द्वितीय पक्ष के अमृत गिरी को केवाला करने के उपरान्त अमृत गिरी के नाम से जमाबन्दी कायम हो गया तथा ऑफलाईन रसीद 2014–15 तक निर्गत हुई है। प्रथम पक्ष द्वारा प्रथम लगान रसीद संख्या–492893, वर्ष–1959–60 ई0 प्रस्तुत किया गया है। वहीं द्वितीय पक्ष द्वारा वर्ष–1988 से वर्त्तमान तक ऑनलाईन तथा ऑफलाईन लगान रसीद प्रस्तुत किया गया है। उभय पक्षों का लगान रसीद से संबंधित प्रतिवेदन Annexure-I के माध्यम से संलग्न है। इससे स्पष्ट है कि द्वितीय पक्ष की जमाबन्दी प्रथम पक्ष से पूर्व से चल रहा है। अंचल अधिकारी, गिद्धौर द्वारा द्वितीय पक्ष का लगान रसीद वर्ष–2012–13 में 1988–89 से 2012–13 तक लगान रसीद निर्गत कर दिया गया है, जिससे प्रतीत होता है कि अंचल कार्यालय द्वारा बिना जाँच–पड़ताल किये हीं एक ही साथ 1988–89 से 2012–13 तक लगान रसीद निर्गत कर दी गई है, जबकि पूर्व से प्रथम पक्ष की जमाबन्दी कायम थी तथा लगान रसीद निर्गत होते आ रही थी।

17. उक्त परिपेक्ष्य में उभय पक्षों द्वारा दाखिल लिखित कथन/लिखित बहस एवं राजस्व कागजातों के अवलोकन तथा विद्वान अधिवक्ता के बहस सुनने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि प्रथम पक्ष द्वारा दावा किया गया है कि खतियानी रैयत जपली ग्वालीन

Scanned with OKEN Scanner

के वंशज हैं, परन्तु प्रथम पक्ष के द्वारा वंशज होने के संबंध में कोई साक्ष्य इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। जहाँ तक द्वितीय पक्ष का प्रश्न है, तो द्वितीय पक्ष के द्वारा दावा किया गया है कि दिनांक–18.04.1937 ई0 का खुस्की केवाला से प्राप्त होने के उपरान्त से हीं दखल–कब्जा में हैं तथा लगान रसीद भी निर्गत होते आ रही है, जिसका जिला अभिलेखागार से प्राप्त पंजी–2 की सत्यापित प्रति से मिलान की गई, जिसमें कुछ रसीद दर्ज पाई गई। अतएव अंचल अधिकारी, गिद्धौर को निर्देश दिया जाता है कि प्रथम पक्ष की जमाबन्दी को **स्थगित** रखते हुए द्वितीय पक्ष की जामबन्दी **यथावत** रखते हुए **लगान रसीद निर्गत** करेंगें। असंतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है। वाद की अग्रेतर कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

21/01/2025

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

21/01/2025

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

Scanned with OKEN Scanner

विविध वाद संख्या–14 / 2023–24

आनन्द कुमार यादव बनाम सुरेश गिरी एवं अन्य, अंचल–गिद्धौर, जिला–चतरा।

Annexure-I

प्रथम पक्ष द्वारा प्रस्तुत लगान रसीद।

रैयत का नाम–जपली ग्वालीन।

क्र०सं०	अंचल का नाम	वर्ष	प्रस्तुत रसीद	पंजी–2 एवं अंचल अधिकारी, गिद्धौर के प्रतिवेदना अनुसार मिलान	अभ्युक्ति
1.	गिद्धौर	1988–89 से 2012–13 तक (ऑफलाईन)	3927086	3A से मिलान किया, जिसमें सही पाया गया।	
2.		वर्ष–2019–20 (ऑनलाईन)	0708895446	ऑनलाईन निर्गत	
3.		वर्ष–2021–22 से 2022–23 तक (ऑनलाईन)	0807856393	ऑनलाईन निर्गत	

द्वितीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत लगान रसीद।

रैयत का नाम–अमृत गिरी

क्र०सं०	अंचल का नाम	वर्ष	प्रस्तुत रसीद	पंजी–2 एवं अंचल अधिकारी, गिद्धौर के प्रतिवेदना अनुसार मिलान	अभ्युक्ति
1.	गिद्धौर	वर्ष–2005–06 से 2014–15 तक। (ऑफलाईन)	0121465	3A से मिलान किया, जिसमें सही पाया गया।	
2.		वर्ष–1994–95 से 2004–05 तक (ऑफलाईन)	1817538	3A पंजी उपलब्ध नहीं रहने के कारण मिलान नहीं हो पाई।	
3.	ईटखोरी	1959–60 (ऑफलाईन)	492893	–	
4.		वर्ष–1960–61	516346	–	
5.		वर्ष–1961–62	299940	–	
6.		वर्ष–1962–63	536815	–	
7		वर्ष–1964–65	859624	–	
8.		वर्ष–1965–66	868158	–	
9		वर्ष–1966–67 से 1967–68	366652	–	
10.		वर्ष–1968–69	815008	–	
11		वर्ष–1970–71 से 1971–72	836613	–	
12		वर्ष–1973–74	620410	पंजी–2 से मिलान किया, जिसमें सही पाया गया।	
13.		वर्ष–1974–75	797761	पंजी–2 से मिलान किया, जिसमें सही पाया गया।	
14		वर्ष–1977–78	314520	पंजी–2 से मिलान किया, जिसमें सही पाया गया।	
15		वर्ष–1978–79	036752	–	
16		वर्ष–1980–81	504854	–	
17.		वर्ष–1984–85	737718	पंजी–2 से मिलान किया, जिसमें सही पाया गया।	
18.		वर्ष–1986–87 से 1987–88	519112	पंजी–2 से मिलान किया, जिसमें सही पाया गया।	
19.		वर्ष–1988–89 से 1993–94	277390	पंजी–2 से मिलान किया, जिसमें सही पाया गया।	

Digitally signed by SUNNY RAJ
Date: 2025.02.05 15:50:51 +05:30
Location: 192.168.233.12

21/01/2025

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
सिमरिया।

Scanned with OKEN Scanner